राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0
उद्योग भवन, तिलक–मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांक :आईपीआई / पी–5 / परिपत्र / 2013 / 40 / 5459
दिनांक : 16, मार्च, 2015

परिपत्र

विषयः संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिक / मृतक सैनिकों की विधवा उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटन हेतु प्रक्रिया।

रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3 (ए) के उप नियम vii (a) के प्रावधानों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक / मृतक सैनिकों की विधवा उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर तक के कुल नियोजित भूखण्डों का 2 प्रतिशत आरक्षण किये जाने का प्रावधान है। पूर्व में उक्त आरक्षण औद्योगिक क्षेत्र के संतृप्त घोषित होने तक ही रखे जाने का प्रावधान था लेकिन कार्यालय आदेश (7 / 2012) क्रमांक आईपीआई / पी–6 / पोलिसी / 07 / पार्ट III / 3260 दिनांक 27.03.2012 के अनुसार दिनांक 09.03.2012 को निगम के निदेशक मण्डल की आई.डी.सी. द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त आरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र के संतृप्त घोषित हो जाने के उपरान्त यदि उक्त 2 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक / मृतक सैनिकों की विधवा उद्यमी हेतु औद्योगिक भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ हो तो भी भूखण्ड उपलब्ध होने की स्थिति में जारी रखे जाने का प्रावधान सम्बन्धित नियमों में कर दिया गया है।

उक्त आरक्षित भूखण्डों को भूतपूर्व सैनिक / मृतक सैनिकों की विधवा उद्यमियों की श्रेणी के आवेदकों को आवंटन करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. कार्यालय आदेश दिनांक 27.03.2012 से भविष्यलक्षीय (Prospectively) होगा अर्थात उक्त वर्णित 2 प्रतिशत आरक्षण उन्हीं संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में जारी रहेगा जिनको आई.डी.सी. की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.03.2012 के पश्चात् संतृप्त घोषित किया गया है।

2. उक्तानुसार संतृप्त घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में यदि आरक्षण सीमा तक उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन भूतपूर्व सैनिक / मृतक सैनिकों की विधवा श्रेणी के उद्यमियों को नहीं हुआ है तो ऐसे शेष रहे भूखण्डों के आवंटन हेतु राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर एक निश्चित तिथि तक उक्त श्रेणी के आवेदकों से आवेदन पत्र कुल उपलब्ध भूखण्डों की संख्या एवं विवरण दर्शाते हुए आमंत्रित किये जायेंगे।

3. नियत तिथि तक प्राप्त ऐसे सभी आवेदन पत्रों का परीक्षणोपरान्त निस्तारण, आवश्यक होने पर लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।

4. यदि विज्ञापन में वर्णित तिथि तक उक्त श्रेणी के किसी भी आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो तत्पश्चात उपलब्ध आरक्षित भूखण्ड का निस्तारण / आवंटन 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के सिद्धान्त के आधार पर उपरोक्त श्रेणी के आवेदकों को किया जा सकेगा।

5. उक्त आवंटन प्रक्रिया में इकाई प्रमुख पूर्ण पारदर्शिता बरतेंगे एवं आवंटन की समय–समय पर सूचना एम.एण्ड सी. प्रकोष्ठ, रीको, मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

यह परिपत्र प्रबन्ध निदेशक महोदया से अनुमोदित है एवं सभी इकाई कार्यालयों द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपि :

1. वित्तीय सलाहकार / सलाहकार (एएण्डएम)
2. सचिव, रीको लिमिटेड
3. मुख्य महाप्रबन्धक (एकेजी)
4. महाप्रबन्धक (वित्त) / (अप्रेजल)
5. विशेषाधिकारी (भूमि) / (आई.टी.) / (नई दिल्ली)
6. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक(पीएण्डडी / (एस.के.एस.) / (एस.के.जी.))
7. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक(डोक्यूमेंटेशन) / (विधि)
8. समस्त इकाई प्रभारी.....
9. व0क्षे0 प्र0(पीएण्डडी) / (एस.पी.एस)
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पीएण्डडी) / (वी.के.जे.)
11. अनुभागाधिकारी (पीएण्डडी) / (एस.आर.के.)
12. वरिष्ठ सहायक (पीएण्डडी) / (ए.के.) / (जी.एस.)

प्रतिलिपि निम्न को भी अवलोकनार्थ :

1. व0 निजी सचिव, अध्यक्ष, रीको लिमिटेड, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक
3. अति0 निजी सचिव, सलाहकार (इन्फ्रा)

वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (पीएण्डडी)